



RAJASTHAN RAJYA TILHAN UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.
(TILAM SANGH) FATEHNAGAR PROJECT
GRAM – VASNI KALLAN, TEH-MAVLI, DISTT-UDAIPUR (RAJ.) – 313205
Ph. 02955-220080, 220480, FAX 02955-220480 Email : tsrfnr@gmail.com

निविदा फार्म (2025–26)

सहकारी समिति से कार्यालय कार्मिक एवं सुरक्षा प्रहरी आपूर्ति

1. सहकारी समिति का नाम और पता :
2. निविदा प्रपत्र शुल्क : 300/- रु0
रसीद नम्बर एवं दिनांक :
3. निविदा प्रपत्र दिये जाने की तारीख : 23.09.2025, 12:00 AM
4. निविदा स्वीकार किये जाने की दिनांक : 23.09.2025, 02:00 PM
5. निविदा खोले जाने की दिनांक : 23.09.2025, 03:00 PM

महाप्रबन्धक

हमारी समिति को परियोजना की संलग्न अनुबन्ध की शर्त, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षर स्वीकृति स्वरूप किए गए हैं, स्वीकार हैं।

दिनांक :-

सहकारी / सरकारी समिति अथवा संस्था

का नाम एवं वर्तमान

पता

अधिकृत हस्ताक्षर
(सहकारी / सरकारी समिति अथवा संस्था)

.....
.....
.....
.....

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) फतहनगर परियोजना

क्र.स.	कार्य विवरण	दर प्रतिमाह (समस्त कर सहित)
1.	सुरक्षा प्रहरी	प्रतिमाह
2.	च.श्रे. कर्मचारी	प्रतिमाह
3.	हेल्पर	प्रतिमाह
4.	स्वीपर	प्रतिमाह
5.	इलेक्ट्रिशियन	प्रतिमाह
6.	प्रशासन—विपणन—लेखा सहायक / बिल कलर्क (कार्मिक विभाग/भ.नि./विपणन/लेखा कार्य का अनुभव आवश्यक)	प्रतिमाह
7.	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय GST & Other taxes work (TDS-TCS & Other taxes/Tally/E-invoice/Balance sheet/E-way bill/ FSSAI,FAB & RPCB online Annual Return etc. का अनुभव आवश्यक)	प्रतिमाह
8.	केमिस्ट (रसायन शास्त्र में स्नातक एवं खाद्य तेल गुणवत्ता जांच का अनुभव)	प्रतिमाह

शर्तों :—

1. सहकारी समिति के कार्मिकों को परियोजना में निर्देशानुसार समस्त कार्य करना होगा ।
2. उपरोक्त समिति को सरकार द्वारा निर्धारित टी.डी.एस. एवं अन्य करों को स्वयं वहन करना होगा ।
3. सामान्यतया प्रतिदिन कार्य की अवधि 8 घण्टे तथा पार्ट टाइम कार्य की अवधि 4 घण्टे होगी ।
4. सहकारी समिति के श्रमिकों/कार्मिकों की कभी भी किसी भी प्रकार की देयता का उत्तरदायित्व तिलम् संघ का नहीं होगा ।
सहकारी समिति के श्रमिकों/कार्मिकों को देय वेतन, भते परिलाभ आदि के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित सहकारी समिति की होगी । यदि किसी विधिक प्रावधान के अन्तर्गत कभी कोई देयता या अवैधानिकता ज्ञात होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित सहकारी समिति की होगी, इस हेतु तिलम् संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
5. संबंधित सहकारी समिति को मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्मिकों के कार्य करने पर चैक/डी.डी. से भुगतान किया जावेगा तथा वसूलियाँ, यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा ।
6. निविदा कार्यावधि एक वर्ष की होगी । विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से घटाया—बढ़ाया जा सकता है ।
7. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक का निर्णय अंतिम होगा ।

दिनांक :—

अधिकृत हस्ताक्षर
(सहकारी समिति)

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) फतहनगर परियोजना

अन्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र पार्टी को अपने स्वयं के नाम एवं पते से खरीदना आवश्यक है क्योंकि यह प्रपत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तों के अनुसार देखभाल कर भरें क्योंकि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आपकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र स्वच्छ रूप से बिना काट छांट के भरा होना चाहिये। किसी भी प्रकार की कटिंग (ओवरराइटिंग) पर पार्टी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
4. निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में व्यक्तिगत तौर पर निश्चित समयानुसार निविदा पात्र में डालना चाहिये अथवा परियोजना के सही पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी निविदायें भेजी जा सकती हैं, परन्तु किसी प्रकार के विलम्ब के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। लिफाफे के ऊपर “सुरक्षा प्रहरी एवं कार्यालय कार्मिक आपूर्ति हेतु निविदा” लिखा होना आवश्यक है।
5. कार्यालय कार्मिक/सुरक्षा प्रहरी द्वारा असमान्य व्यवहार करने की दशा में तुरन्त सुरक्षा प्रहरी को हटाकर दुसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना होगा।
6. परियोजना प्रबन्धन द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण करने पर सुरक्षा प्रहरी नींद में पाया गया तो उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रु. 500/- जूर्माना राशि समिति से वसूल की जावेगी।
7. कार्यालय कार्मिकों के लिए परियोजना स्तर पर मुख्यालय द्वारा घोषित समस्त अवकाश रहेंगे तथा सुरक्षा प्रहरियों को सप्ताहिक एक अवकाश दिया जावेगा।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय GST & Other taxes worker को निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर Goods and service tax dept. एवं Income tax dept. द्वारा जारी due date से पूर्व मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप में ई-मेल के माध्यम से सूचना देनी होगी तथा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
9. सहायक कार्मिक को भ.नि. कार्य, सूचना का अधिकार, विपणन, केशियर एवं लेखा कार्य का अनुभव होना आवश्यक होगा तथा संबंधित प्रभारी के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करेगा।
10. तिलम् डिपो से प्राप्त जारी चालान/डी.ओ. का e-invoice/e way bill generate कर निर्धारित समय में महाप्रबन्धक या प्रभारी से जांच करवा कर डिपो पर ई-मेल करना होगा।
11. परियोजनाओं द्वारा डिपो पर भेजे गये खाद्य तेल का रजिस्टर संधारण कर प्रभारी को स्टॉक मिलान कराना होगा, जारी e-invoice से स्टॉक कम/अधिक होने पर महाप्रबन्धक को अवगत कराना होगा।
12. समिति द्वारा कार्मिक विधियों में सम्बन्धित दस्तावेज/रिकार्ड तैयार कर रखेगा तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।
13. भविष्य निधि राशि जमा करवाने की जिम्मेदारी समिति की होगी तथा 10 से अधिक कार्मिक होने पर स्वयं का भ.नि. कार्यालय में पंजीकरण करवा कर भ.नि. राशि जमा करवाने का समस्त उत्तरदायित्व समिति का होगा।
14. समिति द्वारा किसी कानून की अनुपालना सही रूप से नहीं करने पर परियोजना द्वारा हर्जाना या कानूनी कार्यवाही कि जायेगा।
15. समिति द्वारा प्रत्येक पारी में आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाने होंगे। सुरक्षा प्रहरी की सख्तां में कमी अथवा बढ़ोतरी का अधिकार परियोजना प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।
16. समिति द्वारा समस्त सुरक्षा प्रहरी को वर्दी व टोपी वर्दी के रूप में प्रदत्त किया जावेगा।
17. मैंने/हमने उक्त सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर समझ लिया है तथा हमें/मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

घोषणा

समिति अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी आवश्यक व अन्य शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है व समझ लिया है तथा समिति को सभी शर्तें स्वीकार है हमें उपरोक्त वर्णित कार्य को निर्धारित दरों से कार्य करने को तैयार है।

अधिकृत हस्ताक्षर
(सहकारी समिति)